उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक)
संख्या–1149/XXIV(1)/2018-06/2016
देहरादून : दिनाँकः 14 दिसम्बर, 2018

अधिसूचना सं0–1148/XXIV(1)/2018–06/2006 दिनांक 14 दिसम्बर, 2018 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक)(पंचम संशोधन) सेवा नियमावली, 2018 की प्रतियां निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
2– समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभावी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– अपर मुख्य सचिव/सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
5– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
6– सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7– स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
8– मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल।
9– महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, ननूरखेड़ा, देहरादून।
10– निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की (हरिद्वार) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट में मुद्रित कराकर इसकी 300 प्रतियां बेसिक शिक्षा अनुभाग–01 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
11– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, ननूरखेड़ा, देहरादून।
12 – निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, ननूरखेड़ा, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्तानुसार संशोधित नियमावली के अनुक्रम में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
13– अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
14– अधिशासी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।

संलग्नकः–यथोक्त।

आज्ञा से,

(प्रदीप जोशी)
संयुक्त सचिव।

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
शिक्षा अनुभाग–1(बेसिक)
संख्या–1148/ XXIV(1)/2018-06/2016
देहरादून : दिनाँकः 14 दिसम्बर, 2018

अधिसूचना
प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 2012 में अग्रत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।"

उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (पंचम संशोधन) सेवा नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) (संशोधन) सेवा नियमावली, 2018 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 में संशोधन

2. उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली–2012 जिसे यहाँ आगे मूल नियमावली कहा गया है में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये वर्तमान नियम–3 के खण्ड (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थात् :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
'नियुक्ति प्राधिकारी' से सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय/सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय के सन्दर्भ में उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) और प्राधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय आदर्श विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अभिप्रेत है;	'नियुक्ति प्राधिकारी' से सहायक अध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय/सम्बद्ध राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय आदर्श विद्यालय एवं प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/राजकीय आदर्श विद्यालय के संदर्भ में जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) अभिप्रेत है,

नियम 5 में संशोधन

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये वर्तमान नियम 5 के उपनियम (1) व (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे अर्थातः–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
(1) प्रत्येक विकास खण्ड के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय तथा सम्बद्ध प्राथमिक विद्यालय के सहायक अध्यापकों का सेवा का एक संवर्ग होगा।	(1) प्रत्येक जनपद के लिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय/सम्बद्ध राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय/ राजकीय आदर्श विद्यालय के सहायक अध्यापकों और राजकीय प्राथमिक विद्यालय/राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय आदर्श विद्यालय के प्रधानाध्यापकों का सेवा का एक संवर्ग होगा;
(2) राजकीय प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय आदर्श विद्यालय के सहायक अध्यापक और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं राजकीय आदर्श विद्यालय के प्रधानाध्यापकों का प्रत्येक जनपद के लिए सेवा का एक संवर्ग होगा; परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रख्यापन से पूर्व नियुक्त अध्यापकों का पूर्व की भांति जनपद संवर्ग यथावत रहेगा।	(2) विलोपित

Scanned by CamScanner

नियम 7 में संशोधन

मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये वर्तमान नियम 7 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये उपनियम रख दिये जायेंगे अर्थात:–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
4. सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कैलेण्डर वर्ष में पद विज्ञापित किये जाते हैं उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 40 वर्ष होनी चाहिए;	सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु, यदि पद 01 जनवरी से 30 जून की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते है, तो जिस वर्ष भर्ती की जाती है, उस वर्ष की 01 जनवरी को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए और यदि पद 01 जुलाई से 31 दिसम्बर की अवधि के दौरान विज्ञापित किये जाते है, तो उस वर्ष की 01 जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए,
परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु में उतनी छूट प्रदान की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उपबन्धित किया जाय;	परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में, जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु में उतनी छूट प्रदान की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर उपबन्धित किया जाय;
परन्तु यह और कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र जिन्होने राज्य सरकार द्वारा दो वर्षीय बी.टी.सी. प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हो अथवा ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हो, तथा जो संविदा में नियुक्ति के समय तत्समय निर्धारित अधिकतम आयु से अनधिक आयु का हो।	परन्तु यह और कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्यरत शिक्षा मित्र जिन्होने राज्य सरकार द्वारा दो वर्षीय बी.टी.सी. प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हो अथवा ऐसे शिक्षा मित्र जिन्होने इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय डी.एल.एड. प्रशिक्षण तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा–I उत्तीर्ण की हो, तथा जो संविदा में नियुक्ति के समय तत्समय निर्धारित अधिकतम आयु से अनधिक आयु का हो।

नियम 9 का संशोधन

5. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये वर्तमान नियम 9 के उपनियम (क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा अर्थात :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम			स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम		
क्र. सं.	पद		क्र. सं.	पद	
(क)	सहायक अध्यापक / अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 01 से 05)	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि; परन्तु यह कि सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर भर्ती हेतु स्नातक उपाधि उर्दू मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण होगा अनिवार्य है;	(क)	सहायक अध्यापक / अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 01 से 05)	(एक) भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि; परन्तु यह कि सहायक अध्यापक, प्राथमिक के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापित पदों में 50 प्रतिशत विज्ञान विषय एवं 50 प्रतिशत विज्ञानेत्तर विषय के होंगे। विज्ञान विषय के पदों के अन्तर्गत 50 प्रतिशत पद स्नातक स्तर पर भौतिक विज्ञान व गणित से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु एवं 50 प्रतिशत पद स्नातक स्तर पर रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व जन्तु विज्ञान विषय से विज्ञान स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित रहेंगे; और विज्ञानेत्तर विषय के पदों के अन्तर्गत 25 प्रतिशत पद अंग्रेजी भाषा के लिए स्नातक स्तर पर अंग्रेजी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों

Scanned by CamScanner

	हेतु एवं 25 प्रतिशत पद हिन्दी भाषा के लिए स्नातक स्तर पर हिन्दी मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण व न्यूनतम इण्टर स्तर पर संस्कृत विषय वाले अभ्यर्थियों के लिए तथा 50 प्रतिशत पद अन्य विषय (जो विज्ञान व भाषा में सम्मिलित नहीं है) के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित होंगे; परन्तु यह और कि सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर भर्ती हेतु स्नातक उपाधि उर्दू मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है;
(दो) सम्बन्धित जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संशाधन केन्द्र से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी0एल0एड0 (जिसे उत्तराखण्ड राज्य में द्विवर्षीय बी0टी0सी0 के नाम से जाना जाता था)	**(दो)** राज्य के किसी भी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संशाधन केन्द्र से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी.एल.एड. (जिसे उत्तराखण्ड राज्य में द्विवर्षीय बी.टी.सी. के नाम से जाना जाता है) अथवा उसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा डी.एल. एड./चार वर्षीय बी.एल.एड.
अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत एवं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण उत्तीर्ण शिक्षा मित्र और	**अथवा** 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक तथा एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा स्नातक (बी.एड.)/शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) किन्तु इस प्रकार कक्षा I से V तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्त व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के दो वर्ष के भीतर एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु पाठ्यक्रम (ब्रिज कोर्स) आवश्यक रूप से पूरा करना होगा
	और
(तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा–I-V के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी0ई0टी0–I) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।	**(तीन)** राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अधीन राज्य सरकार/केन्द्र सरकार द्वारा कक्षा–I-V के लिए आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.–I) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा और,
	(चार) आवेदक उत्तराखण्ड राज्य के किसी भी सेवायोजन कार्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक की भर्ती हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति के अनुसार आवेदन करने की अन्तिम

Scanned by CamScanner

तिथि से पूर्व पंजीकृत/नवीनीकृत हो।

नियम 13 का संशोधन

6. **मूल नियमावली के नियम 13 के उपनियम (02) में परन्तुक के पश्चात निम्नवत परन्तुक अन्तःस्थापित कर दिया जायेगा अर्थात् :–**

परन्तु यह और कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016(अधिनियम सं0 49 वर्ष 2016) की धारा 33 के क्रम में इस हेतु चिन्हित पदों तथा धारा 34 के अन्तर्गत चिन्हित श्रेणियों में दिव्यांगों को नियमानुसार नियुक्ति देने से मना नहीं किया जायेगा।

नियम 15 का संशोधन

7. (क) **मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 15 के उपनियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा अर्थात् :–**

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
(3) उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में अभ्यर्थी के नाम उनके द्वारा बी0टी0सी0 अथवा डी0एल0एड0 प्रशिक्षण प्रमाण पत्र परीक्षा में प्राप्तांकों के प्रतिशत का 60 प्रतिशत तथा टी0ई0टी0–1 परीक्षा में प्राप्त प्राप्तकों के प्रतिशत का 40 प्रतिशत के योग के अवरोही क्रम में रखे जायेंगे।	(3) उपनियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में अभ्यर्थी के नाम उनके द्वारा उत्तराखण्ड अध्यापक पात्रता परीक्षा–I/केन्द्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा–I में प्राप्त प्राप्तांकों की श्रेष्ठता के अवरोही क्रम में रखे जायेंगे; परन्तु यह और कि दो या दो अधिक अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची में अंक समान होने की स्थिति में अधिक आयु वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में ऊपर रखा जायेंगा। यदि उक्त में भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की जन्मतिथि समान हो तो वर्णमाला (अंग्रेजी) के क्रम में सूची में नाम रखा जायेगा।

नियम 15 में संशोधन

(ख) **मूल नियमावली में नियम 15 (5) के पश्चात उपनियम (6) निम्नवत अन्तः स्थापित कर दिया जायेगा अर्थात् :–**

(6) नियमावली के नियम 9(क) के अनुसार योग्यताधारी अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर प्रथम वरीयता द्विवर्षीय डी.एल.एड./चार वर्षीय बी.एल.एड. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को दी जायेगी। डी.एल.एड. प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में ही बी.एड./शिक्षा शास्त्र (विशेष शिक्षा) प्रशिक्षित योग्यताधारी अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र पर विचार किया जायेगा;

परन्तु यह कि ऐसे शिक्षक जो पूर्व में समान पद पर कार्यरत है, (अर्थात राज्यान्तर्गत किसी राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक प्राथमिक के पद पर कार्यरत) वे समान पद पर पुनः अभ्यर्थन (Apply) हेतु अर्ह नहीं होंगे।

नियम 31 का विलोपन

8. **मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 मे दिये गये वर्तमान नियम 31 के उपनियम 03 को स्तम्भ–2 के अनुसार विलोपित कर दिया जायेगा अर्थात् :–**

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
01. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 23.08.2010/25.08.2010 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 29.07.2011/02.08.2011 के पैरा–3 के खण्ड–1 के उपखण्ड–क में उल्लिखित न्यूनतम अर्हताधारी (बी.एड. टी.ई.टी. (I-V) उत्तीर्ण) अभ्यर्थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार (स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग) की अधिसूचना संख्या–1809 दिनांक 11.09.2014/12.08.2014 द्वारा निर्धारित तिथि 31.03.2016 तक सहायक अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय के पदों पर नियुक्ति हेतु पात्र होंगे, परन्तु यह कि सहायक अध्यापक (उर्दू) के पद हेतु उत्तराखण्ड राजकीय प्रारम्भिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियामवली–2012 के नियम–9(क)(दो) के अनुसार प्रशिक्षण अर्हताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध	विलोपित

Scanned by CamScanner

न होने की दशा में भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय एवं एन.सी.टी.ई. से मान्यता प्राप्त बी.एड. एवं अध्यापक पात्रता परीक्षा (I-V) अर्हताधारी अभ्यर्थी भी नियम–15(1) के प्रस्तर–3 के प्रतिबन्ध सहित नियुक्ति हेतु पात्र होंगे,

परन्तु यह भी कि ऐसे अभ्यर्थियों की वर्णित पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम–15(1) अभ्यर्थियों का राज्य स्तर पर चयन किया जायेगा। चयन प्रशिक्षण वर्ष की ज्येष्ठता एवं गुणांकों की श्रेष्ठता के आधार पर किया जायेगा। गुणांकों की गणना संलग्नक–1 में निर्धारित प्राविधानों के अनुसार की जायेगी,

परन्तु यह और कि उपरोक्त चयन हेतु निर्धारित अर्हताओं एवं समयावधि के सम्बन्ध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार/राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय– समय पर जारी अधिसूचना/आदेश भविष्य में शासन के प्रशासनिक विभाग के शासनादेशों द्वारा लागू किये जा सकेंगे,

राज्य स्तरीय चयन के पश्चात सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन आधार पर संस्तुत अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान की जायेगी।

नियम 32 का विलोपन

9. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 32 को स्तम्भ–2 के अनुसार विलोपित कर दिया जायेगा अर्थात् :–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम			स्तम्भ–2 एतदद्वारा प्रतिस्थापित नियम
क्र. सं.	पद	शैक्षिक अर्हता	
(क)	सहायक अध्यापक/अध्यापिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय (कक्षा 01 से 05)	1. भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, परन्तु सहायक अध्यापक उर्दू के पद पर भर्ती हेतु स्नातक उपाधि उर्दू मुख्य विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है 2. राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान/जिला संसाधन केन्द्र से दो वर्षीय बी0टी0सी0 उत्तीर्ण, 3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के पत्रांक F. 62-4/2011 /NCTE/ N&S/A 83026 दिनांक 17.02.14 द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम से मुक्त राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षा मित्र	विलोपित

Scanned by CamScanner

अथवा

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से दो वर्षीय डी0एल0एड0 उत्तीर्ण एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक पात्रता परीक्षा से मुक्त शिक्षा मित्र

अर्हताओं के सम्बन्ध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय–समय पर जारी अधिसूचना/ आदेश भविष्य में शासन के प्रशासनिक विभाग के शासनादेशों द्वारा लागू किये जा सकेंगे।

(डॉ0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव

Scanned by CamScanner